

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें ।

परमिट स्वीकृति के पश्चात परमिट निर्गत किये जाने हेतु निम्नलिखित कागजात निश्चित रूप से संलग्न किया जाय ।

1. अद्यतन कर प्रतीक
2. अद्यतन बीमा
3. अद्यतन दुरुस्ती प्रमाण-पत्र
4. अधिभार शुल्क
5. (i) यात्रियों को टिकट देने का शपथ-पत्र, वाहन के कंडक्टर के संबंध में शपथ-पत्र,
(ii) वाहन के एजेंट के संबंध में शपथ-पत्र एवं चालक का शपथ पत्र जिसमें चालक का अनुज्ञप्ति लगाने की अनिवार्यता नहीं होगी, किन्तु शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि मान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक एवं संवाहक का उपयोग वाहन परिचालन में किया जायेगा ।
(iii) किसी प्रकार की गड़बड़ी की पूर्ण जवाबदेही परमिटधारी की होगी ।
(iv) 250 कि०मी० से अधिक मार्ग की दूरी पर दो चालक का उपयोग किये जाने का उल्लेख शपथ पत्र में किया जायेगा ।

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।